



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1862/2026

राहुल एवं 2 अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जितेंद्र यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि निजी प्रत्यर्थी को इस आदेश से कोई आपाते होती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जिला आजमगढ़ को वाद संख्या 2033/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D202415060002033) (राहुल एवं अन्य बनाम राज्य) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मामला काफी समय से प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जिला आजमगढ़ उपरोक्त वाद को कानून के अनुसार और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से तय करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"